राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 396/2025

दर्शना

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, तिलक मार्ग स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, तिलक मार्ग स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोहर, जिला हनुमागढ़।
6. संतोष कुमारी, एएनएम, उपस्वास्थ्य केन्द्र, सरदारपुरा, नोहर, हनुमानगढ।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.02.2025
आदेश की दिनांक : 10.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री बिंजाराज जाजड़ा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर उप स्वास्थ्य केंद्र चक सरदारपुरा नोहर, हनुमानगढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025

(अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानातरण उप स्वास्थ्य केंद्र चक सरदारपुरा नोहर, हनुमानगढ से पीएचसी अर्जुनसर संतोष के स्थान पर किया है।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 06.01.2021 से उप स्वास्थ्य केन्द्र चक सरदारपुरा तहसील नोहरे मे ए.एन.एम के पद पर स्थायी रूप से कार्यरत है तथा अपीलाथी के ससुर गम्भीर बीमारी कैन्सर से पीड़ित है व अन्तिम स्टेज में है जिसकी सेवा एवं देखभाल अपीलार्थी द्वारा की जाती है। विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 की अनुदेश क्रम सं0 5 पर लिखा गया है कि संविदा/रिवर्स/डेपुटेशन/ एन.एच.एम योजना के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मचारियो के स्थानान्तरण की कियान्विति नहीं की जा सकेगी जिसके कारण प्रार्थीया का स्थानान्तरण निरस्त योग्य है। इस संबंध मे अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक–5) प्रस्तुत कर स्थानांतरण को निरस्त करने के लिए निवेदन किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया।

4. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त कर अपीलार्थी को अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर उप स्वास्थ्य केंद्र चक सरदारपुरा नोहर, हनुमानगढ़ में कार्यरत रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।

5. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर

अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य